

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक: एफ.1(51)शिक्षा/ग्रुप-3/2006

जयपुर, दिनांक: 27 सितम्बर, 2013

-: आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के निम्नांकित उपाचार्य/
प्राचार्य स्नातक/उपनिदेशक स्तर को उनके नामों के सम्मुख अंकितानुसार
पदोन्नति परिचयाग (फोरगो) की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. स.	नाम, पद पदस्थापन स्थान	एवं वर्तमान स्थान	चयन वर्ष	चयनित पद	पदोन्नति पर पद स्थापन स्थल	पदोन्नति फोरगो करने का कारण
1	श्री अरविन्द राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा	जैन, उपाचार्य, कन्या	2012-13	स्नातक प्राचार्य	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, सोजतसिटी	पारिवारिक परिस्थितियां
2	श्रीमती व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय, कोटा	उमा शर्मा, रसायन शास्त्र, कन्या	2010-11	उपाचार्य		पारिवारिक परिस्थितियां
3	श्रीमती व्याख्याता, राजकीय नीमकाथाना	अनुपमा माथुर, इतिहास, महाविद्यालय,	2011-12	उपाचार्य		कैंसर से ग्रसित होने के कारण
4	डॉ. अजय रसायन मीरा उदयपुर	सिफो शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय,	2010-11	उपाचार्य		पति के पुर्दा प्रत्यारोपण हेतु स्वयं की केडनी दान के स्वास्थ्य के कारण
5	डॉ. राज व्याख्याता, राजकीय अजमेर	कुमारी जैन, दर्शन शास्त्र, महाविद्यालय,	2011-12	उपाचार्य		सूर्यमुखी। आँखें कमजोर
6	श्रीमती व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय, उदयपुर	रजनी भण्डारी, रसायनशास्त्र, कन्या	2010-11	उपाचार्य		निजी कारणों से
7	श्रीमती व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय, उदयपुर	अर्चना मेहता, इतिहास, कन्या	2011-12	उपाचार्य		पारिवारिक परिस्थितियां (पति का देहांत)
8	श्रीमती प्रशासन, कन्या, महाविद्यालय, उदयपुर	मधुबाला जैन, व्यावसायिक, राजकीय मीरा	2012-13	उपाचार्य		अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण

राज्यपाल की आज्ञा से,

(भंवर लाल कन्दोई)

संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
2. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
4. सम्बन्धित उपाचार्य/ प्राचार्य स्नातक/ उपनिदेशक द्वारा निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान सरकार
संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा

शिक्षा विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1 (83)पीएस/मिशाशि/2013/4116

दिनांक 1-10-13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 2- संबन्धित प्राचार्य।
- 3- संबन्धित अधिकारी।
- 4- श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, कालेज शिक्षा जयपुर- आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 5- स्थापना शाखा/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक,
कालेज शिक्षा, राज0जयपुर

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक एफ1 (83)पीएस/निकाशि/2013/1117

दिनांक 1-10-13

कार्यालय आदेश


श्रीमती सुषमा कश्यप, व्याख्याता हिन्दी, राजकीय महाविद्यालय, सीकर को राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर में कार्य व्यवस्थार्थ कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में लगाया जाता है ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।


(नवीन जैन)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- 1- निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर ।
- 3- निजी सचिव, निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- 4- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- 5- प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, सीकर को भेजकर लेख है कि संबंधित अधिकारी को अविलम्ब कार्यमुक्त कर फेक्स द्वारा सूचित करें ।
- 6- श्रीमती सुषमा कश्यप, व्याख्याता हिन्दी, राजकीय महाविद्यालय सीकर- स्थानान्तरित महाविद्यालय में तत्काल आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर लें ।
- 7- प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर ।
- 8- श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, कालेज शिक्षा जयपुर- आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।
- 9- रथापना शाखा/रक्षित पत्रावली ।


(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त निदेशक

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1 (83)पीएस/निकाशि/2013/1118

दिनांक 1-10-13


कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के निम्नलिखित अधिकारियों को रिव्यू/विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के उपरान्त चयनित उपाचार्यों को उनके सम्मुख अकिंत राजकीय महाविद्यालयों में कार्यव्यवस्थार्थ कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में लगाया जाता है:-

क्र.सं०	नाम एवं पद	वर्तमान पदस्थापन	कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु महाविद्यालय का नाम
1	श्री भैरूलाल मीणा, उपाचार्य	राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा (भीलवाडा)	राजकीय महाविद्यालय आसीन्द (भीलवाडा)
2	श्री एस०एन०शर्मा, प्राचार्य (आर०वी०आर०ई०एस०)	राजकीय महाविद्यालय कोटडा (उदयपुर)	राजकीय महाविद्यालय कोलायत (बीकानेर)
3	श्री कन्हैया लाल ढिंडोर, उपाचार्य	राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर	राजकीय महाविद्यालय, धरियावाद (प्रतापगढ)
4	श्री अशोक कुमार तंवर पदोन्नत उपाचार्य	राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर	राजकीय महाविद्यालय पुष्कर (अजमेर)
5	श्री रमेश चन्द सोनी, पदोन्नत उपाचार्य	राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधौपुर	राजकीय महाविद्यालय मांगरोल (बांरा)


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

उपरोक्त सभी अधिकारियों को नियमानुसार यात्राभत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा ।


(नवीन जैन)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- 1- निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर ।
- 3- निजी सचिव, निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- 4- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- 5- संबंधित प्राचार्य- संबंधित अधिकारियों को अविलम्ब कार्यमुक्त कर फेक्स द्वारा सूचित करें ।
- 6- संबंधित अधिकारी- स्थानान्तरित महाविद्यालय में तत्काल आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर लें ।
- 7- श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, कालेज शिक्षा जयपुर- आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।
- 8- स्थापना शाखा/रक्षित पत्रावली ।


(राजेन्द्र शिवर मक्कड)
अतिरिक्त निदेशक

कमांक :- एफ 1(11)/पीएस/निकाशि/09/पार्ट/ 1125

दिनांक :- 2-10-13

-: आदेश :-

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके सम्मुख अंकित नवीन राजकीय महाविद्यालय में कार्य ग्रहण करने की तिथि से कार्य व्यवस्थार्थ लगाया जाता है :-

क्र०सं०	नाम कर्मचारी	पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	कार्य व्यवस्थार्थ पदस्थापन स्थान
1	श्री बिरदी चन्द	व०लि०	राज०महा०भीलवाडा	राज०महा०आसीन्द
2	श्री देबीलाल गूर्जर	च०श्रे०क०	राज०महा०भीलवाडा	राज०महा०आसीन्द
3	श्री मुन्नालाल सेन	क०लि०	राज०महा०अजमेर	राज०महा०पुष्कर
4	श्री बीरमा सिंह	च०श्रे०क०	राज०महा०अजमेर	राज०महा०पुष्कर
5	श्री ओमप्रकाश	च०श्रे०क०	राज०महा०बाडमेर	राज०महा० गुढामलानी
6	श्री विनोद कुमार सक्सेना	क०लि०	राज०महा०कोटा	राज०महा०सागोद (कोटा)
7	श्री हर्षवर्धन तंवर	च०श्रे०क०	राज०महा०कोटा	राज०महा०सागोद (कोटा)
8	श्री भंवर लाल	च०श्रे०क०	राज०महा०पाली	राज०महा०बाली (पाली)
9	श्री ख्याली लाल माली	क०लि०	राज०कन्या महा० उदयपुर	राज०महा० धरियावाद (प्रतापगढ)
10	श्री मोहनलाल	च०श्रे०क०	राज०महा०प्रतापगढ	राज०महा० धरियावाद (प्रतापगढ)
11	श्री विवेक भारद्वाज (आरवीआरईएस)	पी०टी० आई०	राज०महा०मालपुरा	राज०महा०सागोद (कोटा)

उक्त में से कम संख्या 11 पर अंकित कर्मचारी के अतिरिक्त शेष को नियमानुसार यात्राभत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा

(नमीम जैन)
निदेशक

दिनांक :- 2-10-13

कमांक :- एफ 1(11)/पीएस/निकाशि/09/पार्ट/ 1125

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सम्बन्धित प्राचार्य- इन कार्मिकों को अविलम्ब कार्यमुक्त कर सूचना फेक्स द्वारा भिजवायें।
3. सम्बन्धित कार्मिकों को भेजकर लेख है कि आप नवपदस्थापित स्थान पर अविलम्ब कार्यग्रहण कर सूचना फेक्स से भिजवायें।
4. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर-कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. स्थापना शाखा/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राज० जयपुर